



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जनवरी, 2026 ई0 (माघ 04, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-04

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	23—55	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	23—26	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	33—40	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

06 जनवरी, 2026 ई0

संख्या-19/XXVIII(5)/2026-63/2010-राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जायेगा।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 2 2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014, (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग सेवा में समूह 'क' एवं 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राजकीय मेडिकल कॉलेज/स्वामी राम कैंसर संस्थान (स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट) सेवा में समूह 'क' एवं 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

- नियम 3 3. मूल नियमावली में नियम 3 में -
में (i) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) व (झ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ग) 'आयोग' से तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।

(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज के समस्त समूह 'क' एवं 'ख' के पद अभिप्रेत हैं।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) 'बोर्ड' से उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है।

(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा अभिप्रेत है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, राजकीय मेडिकल कॉलेजों तथा स्वामी राम कैंसर संस्थान (स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट) के समस्त समूह 'क' एवं 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

(ii) खण्ड (ट) के पश्चात खण्ड (ठ) निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

(ठ) "अतिविशिष्ट सेवा" से कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, मेडिकल आन्कोलॉजी, सर्जिकल आन्कोलॉजी, मेडिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, इन्टरवेनशनल रेडियोलॉजी एवं किटिकल केयर आदि, अभिप्रेत है।

नियम 4 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया
में गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—
संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट के स्तम्भ-4 में दी गयी है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट-क एवं क-1 में दी गयी है।

नियम 5 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया
में गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—
संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट के स्तम्भ-5 में प्रत्येक पदों के सामने उल्लिखित स्रोतों से की जाएगी। राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में नियुक्ति हेतु अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के योग्य अधिकारियों से राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के नियमानुसार इन पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारी जो राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्य के पद पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें पद के लिए विहित अर्हता पूर्ण करने, संतोषजनक सेवा होने तथा उनके मूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने तथा सम्बन्धित संकाय सदस्य की सहमति पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में धारित पद पर राज्य सरकार द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती इस नियमावली के परिशिष्ट-ख एवं 'ख-1' में प्रत्येक पदों के सापेक्ष उल्लिखित स्रोतों से की जाएगी।
(2) इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव के आधार पर यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो पदोन्नति होने तक संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी।
(3) राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियमित रूप से कार्यरत कैंज्युवल्टी मेडिकल ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रेजिडेंट, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद की अर्हता धारित करते हों, तो सम्बन्धित पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वरिष्ठता के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद पर सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष तैनात किया जा सकेगा, परन्तु पदों की संख्या असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पदों के 5% से अधिक नहीं होंगी।

सीधी भर्ती हेतु समय-समय पर प्रचलित आरक्षण व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

नियम-8 6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया में गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट के स्तम्भ-6 में दी गयी अर्हताएं होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास इस नियमावली के परिशिष्ट-‘ख’, ‘ख-1’ एवं ‘ख-2’ में दी गयी अर्हताएं होगी।

नियम-10 7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया में गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाए, पहली जुलाई को नीचे दी गयी सारणी में पद के विरुद्ध विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

क्र.सं.	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1.	प्रोफेसर	30 वर्ष	62
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	30 वर्ष	62
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर	30 वर्ष	45 वर्ष

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाए, पहली जुलाई को नीचे दी गयी सारणी में पद के विरुद्ध विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :-

क्र.सं.	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1.	प्रोफेसर	35	62 वर्ष
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	30	62 वर्ष
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर	27	45 वर्ष
4.	कैज्युवल्टी मेडिकल ऑफिसर	23	42 वर्ष
5.	लेडी मेडिकल ऑफिसर	23	42 वर्ष
6.	मेडिकल फिजिसिस्ट	23	42 वर्ष
7.	वेटरीनरी ऑफिसर	23	42 वर्ष

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) अतिविशिष्ट सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत संकाय सदस्यों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष होगी। अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के पश्चात् इन संकाय सदस्यों को संविदा के माध्यम से अधिकतम 05 वर्ष हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।

नियम 16 8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 16 के स्थान पर पार्श्व शीर्षक में संशोधन सहित स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :— आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :— बोर्ड के माध्यम से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती इस नियमावली के परिशिष्ट-‘ख’, ‘ख-1’ एवं ‘ख-2’ में दिये गये अर्हताओं के अनुरूप की जाएगी।

प्राचार्य/चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेजों तथा निदेशक, स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के पदों पर श्रेष्ठता का आधार 50% वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों तथा 50% चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

नियम 21 9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में संशोधन दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

राज्य में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात संकाय सदस्यों की सेवा पूरे उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

राज्य में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात संकाय सदस्यों की सेवा पूरे उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में स्थानान्तरणीय होगी।

नियम 25 10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 25 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान परिशिष्ट-‘क’ एवं ‘क-1’ में दिये गये हैं।

परिशिष्ट 11. मूल नियमावली के परिशिष्ट को इस नियमावली में संलग्न परिशिष्ट क, परिशिष्ट क-1, का परिशिष्ट ख, परिशिष्ट ख-1, एवं परिशिष्ट ख-2 से प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।
प्रतिस्थापन

आज्ञा से,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव।

परिशिष्ट-क

प्रतिस्थापित			
क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	निदेशक	144200-218200 (लेवल-14)	01
2	अपर निदेशक	144200-218200 (लेवल-14)	02
3	संयुक्त निदेशक	131100-216600 (लेवल-13 क)	02
4	उप निदेशक	67700-208700 (लेवल-11)	02
5	प्राचार्य	144200-218200 (लेवल-14)	07
6	चिकित्सा अधीक्षक	144200-218200 (लेवल-14)	07
7	प्रोफेसर (ब्रॉड स्पेशियलिटी विभाग)	144200-218200 (लेवल-14)	169
8	प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी विभाग)	144200-218200 (लेवल-14)	15
9	एसोसिएट प्रोफेसर (ब्रॉड स्पेशियलिटी विभाग)	131100-216600 (लेवल-13 क)	284
10	एसोसिएट प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी विभाग)	131100-216600 (लेवल-13 क)	15
11	असिस्टेंट प्रोफेसर (ब्रॉड स्पेशियलिटी विभाग)	67700-208700 (लेवल-11)	486
12	असिस्टेंट प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी)	67700-208700 (लेवल-11)	15
13	असिस्टेंट प्रोफेसर (बर्न युनिट विभाग)	67700-208700 (लेवल-11)	06
14	माइक्रोबायोलॉजिस्ट / असिस्टेंट प्रोफेसर (Virology Lab)	67700-208700 (लेवल-11)	04
15	फिजिसिस्ट (मेडिकल फिजिसिस्ट)	56100-177500 (लेवल-10)	05
16	कैज्युवल्टी मेडिकल ऑफिसर	56100-177500 (लेवल-10)	10
17	कैज्युवल्टी मेडिकल ऑफिसर (बर्न युनिट विभाग)	56100-177500 (लेवल-10)	04
18	लेडी मेडिकल ऑफिसर	56100-177500 (लेवल-10)	06
19	वेटेरीनरी ऑफिसर	56100-177500 (लेवल-10)	03
20	स्टेटिशियन (असिस्टेंट प्रोफेसर)	67700-208700 (लेवल-11)	05
21	रिसर्च साईंटिस्ट (Virology Lab)	56100-177500 (लेवल-10)	08
22	सीनियर रेजीडेंट	नियत वेतन - 67700-208700 (लेवल-11) के अनुसार	329
23	सीनियर रेजीडेंट (सुपर स्पेशियलिटी विभाग)	नियत वेतन - 67700-208700 (लेवल-11) के अनुसार	25
24	जूनियर रेजीडेंट / द्यूटर / डेमोस्ट्रेटर	नियत वेतन - 56100-177500 (लेवल-10) के अनुसार	534

परिशिष्ट-क-1

प्रतिस्थापित			
क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	निदेशक (स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी)	144200-218200 (लेवल-14)	01
2	प्रोफेसर	144200-218200 (लेवल-14)	08
3	एसोसिएट प्रोफेसर	131100-216600 (लेवल-13 क)	09
4	असिस्टेंट प्रोफेसर	67700-208700 (लेवल-11)	18
5	सीनियर रेजीडेंट	नियत वेतन - 67700-208700 (लेवल-11) के अनुसार	17

परिशिष्ट-ख

क्र सं	पदनाम	भर्ती का स्रोत	पद हेतु अर्हता
1	2	3	4
1	निदेशक	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मौलिक रूप से नियुक्त प्राचार्यों में से श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से।	राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्य पद पर निरन्तर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।
2	अपर निदेशक	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मौलिक रूप से नियुक्त प्रोफेसरों में से सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से।	राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के पद पर निरन्तर न्यूनतम 04 वर्ष का कार्यानुभव।
3	संयुक्त निदेशक	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मौलिक रूप से नियुक्त एसोसिएट प्रोफेसरों में से सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से।	राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर निरन्तर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव।
4	उप निदेशक	(i) राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मौलिक रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों में से सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से। (ii) मेडिकल कॉलेज में मौलिक रूप से नियुक्त ई0एम0ओ0/सी0एम0ओ0/एल0एम0ओ0 में से वरिष्ठता के आधार पर सेवा स्थानान्तरण/पदोन्नति के माध्यम से। (iii) एक पद उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में मौलिक रूप से नियुक्त प्राचार्य हेतु, वरिष्ठता के आधार पर। (iv) नियमित अधिकारी प्राप्त न होने की स्थिति में सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से भरा जायेगा।	(i) राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर निरन्तर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव। (ii) मेडिकल कॉलेज में मौलिक रूप से नियुक्त ई0एम0ओ0/सी0एम0ओ0/एल0एम0ओ0 के पद पर निरन्तर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा। (iii) उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में नियमित रूप से कार्यरत प्राचार्य में से, जो भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित प्राचार्य की शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखते हों, में से वरिष्ठता के आधार पर।
5	प्राचार्य	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियमित रूप से नियुक्त ऐसे प्रोफेसरों में से जो एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप अर्हता रखते हों, को ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-समय पर प्रचलित मानकों के अनुसार।
6	चिकित्सा अधीक्षक	उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों में से जो एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप अर्हता पूर्ण करते हों, सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा संशोधित मानकों के अनुसार।

1	2	3	4
7	प्रोफेसर (ब्राड स्पेशियलिटी)	प्रोफेसर (ब्राड-स्पेशियलिटी) - (1) 75% पदोन्नति के माध्यम से। तथा (2) 25% सीधी भर्ती के माध्यम से। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	पदोन्नति हेतु अर्हता :- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे एसोसिएट प्रोफेसरों (ब्राड स्पेशियलिटी) में से, जिन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय प्रख्यापित/प्रचलित मानकों के अनुसार संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को पदोन्नति द्वारा। सीधी भर्ती हेतु अर्हता:- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के समय-समय पर प्रचलित मानकों के अनुसार।
8	एसोसिएट प्रोफेसर (ब्राड स्पेशियलिटी)	एसोसिएट प्रोफेसर (ब्राड-स्पेशियलिटी) - (1) 75% पदोन्नति के माध्यम से। तथा (2) 25% सीधी भर्ती के माध्यम से। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	पदोन्नति हेतु अर्हता :- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसरों (ब्राड स्पेशियलिटी) में से, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय प्रख्यापित/प्रचलित मानकों के अनुसार संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को पदोन्नति द्वारा। सीधी भर्ती हेतु अर्हता:- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा संशोधित मानकों के अनुसार।
9	असिस्टेंट प्रोफेसर (ब्राड स्पेशियलिटी)	असिस्टेंट प्रोफेसर ब्राड-स्पेशियलिटी - (1) 95 % सीधी भर्ती के माध्यम से। तथा (2) अधिकतम 5% ऐसे कैज्युवल्टी मेडिकल ऑफिसर/लेडी मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रेजिडेंट में से, जिन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा निर्धारित अर्हता धारित करते हों, को सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष पदोन्नति के आधार पर। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।	सीधी भर्ती हेतु अर्हता :- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा संशोधित मानकों के अनुसार।
10	माइक्रोबायोलॉजिस्ट / असिस्टेंट प्रोफेसर (Virology Lab)	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय में एम0डी0 की उपाधि।
11	फिजिसिस्ट (मेडिकल फिजिसिस्ट)	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ ए.ई.आर.बी./बी.ए.आर.सी. से विकिरण भौतिक शास्त्र में 01 वर्षीय डिप्लोमा।

1	2	3	4
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त रेडियोथिरेपी विभाग में 12 माह का इन्टर्नशिप। या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मेडिकल फिजिक्स/रेडियोलॉजिकल फिजिक्स / रेडिएशन फिजिक्स में ए.ई.आर.बी. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर (डिग्री/ डिप्लोमा) उपाधि प्राप्त की हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त रेडिएशनथिरेपी विभाग में 12 माह का इन्टर्नशिप किया हो। <u>टिप्पणी:-</u> इन्टर्नशिप वर्ष 2013 के बाद उत्तीर्ण डिग्री धारकों के लिए आवश्यक होगा। वर्ष 2013 से पूर्व डिग्री धारकों के लिए मेडिकल फिजिसिस्ट के अनुभव को इन्टर्नशिप के समकक्ष माना जाएगा। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।
12	कैज्युवेल्टी मेडिकल ऑफिसर	सीधी भर्ती के माध्यम से /चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक (एम0बी0बी0एस0) की उपाधि।
		अर्ह चिकित्सकों को सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से।	चिकित्सा परा-स्नातक (एम0डी0/एम0एस0/ डिप्लोमा/ डी0एन0बी0) उपाधि धारकों को वरीयता।
		उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	
13	लेडी मेडिकल ऑफिसर	सीधी भर्ती के माध्यम से।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक (एम0बी0बी0एस0) की उपाधि।
		उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	चिकित्सा परा- स्नातक (एम0डी0/एम0एस0) उपाधि धारकों को वरीयता।
14	वैटरनरी ऑफिसर	सीधी भर्ती के माध्यम से।	किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय से से स्नातक (बी.वी. एस.सी.) की उपाधि।
		उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	
15	स्टेटिशियन (असिस्टेन्ट प्रोफेसर)	सीधी भर्ती के माध्यम से।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्वास्थ्य सांख्यिकी या चिकित्सा सांख्यिकी या जैव सांख्यिकी या सांख्यिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री ; और
		उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री।

1	2	3	4
16	रिसर्च साइंटिस्ट	सीधी भर्ती/संविदा के आधार पर।	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (ICMR) के मानकानुसार। अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक (एम0बी0बी0एस0) की उपाधि।
17	सीनियर रेजीडेंट / ट्यूटर/ डिमोस्ट्रेटर	सीधी भर्ती/संविदा के आधार पर।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकानुसार।
18	जूनियर रेजीडेंट / ट्यूटर/ डेमोस्ट्रेटर	सीधी भर्ती/संविदा के आधार पर।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकानुसार।

परिशिष्ट-ख-1

क्र. सं.	पदनाम	भर्ती का स्रोत	पद हेतु अर्हता
1	2	3	4
1	प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी)	प्रोफेसर (सुपर-स्पेशियलिटी) - (1) 75% पदोन्नति के माध्यम से। तथा (2) 25% सीधी भर्ती के माध्यम से। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे एसोसिएट प्रोफेसरों (सुपर स्पेशियलिटी) में से, जिन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के समय-समय पर प्रचलित मानकों के अनुसार संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।
2	एसोसिएट प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी)	एसोसिएट प्रोफेसर (सुपर-स्पेशियलिटी) - (1) 75% पदोन्नति के माध्यम से। तथा (2) 25% सीधी भर्ती के माध्यम से। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसरों (ब्रॉड स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी) में से, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के समय-समय पर प्रचलित मानकों के अनुसार संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।
3	असिस्टेंट प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी)	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त की जा सकेगी।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा संशोधित मानकों के अनुसार।
4	सीनियर रेजीडेंट / द्यूटर / डिमोस्ट्रेटर	सीधी भर्ती / संविदा के आधार पर।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकानुसार।
5	जूनियर रेजीडेंट / द्यूटर / डिमोस्ट्रेटर	सीधी भर्ती / संविदा के आधार पर।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकानुसार।

परिशिष्ट-ख-2

क्र. सं.	पदनाम	भर्ती का स्रोत	पद हेतु अर्हता
1	2	3	4
1	निदेशक (स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी)	स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में मौलिक रूप से नियुक्त प्रोफेसर (क्लीनिकल विशेषज्ञ) में से श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के आधार पदोन्नति के माध्यम से।	(i) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षण संस्थान से ऑनकोलॉजी में एम.डी./एम.सी. एच./डी.एम. उपाधि प्राप्त की हो। (ii) कैंसर संस्थान के निर्माण व संचालन का अनुभव। (iii) राजकीय संस्थान/चिकित्सालय में कैंसर से सम्बन्धित क्षेत्र में 20 वर्ष की सेवा, जिसमें 05 वर्ष प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यानुभव हो।
2	प्रोफेसर (कैंसर जेनेटिक/न्यूक्लियर मेडिसिन/रेडिएशन ऑनकोलॉजी/मेडिकल ऑनकोलॉजी/पैलियेटिव मेडिसिन (पेन क्लीनिक)/सर्जरीकल ऑनकोलॉजी/पीडियाट्रिक्स ऑनकोलॉजी / (मेडिकल फिजिसिस्ट/ रेडिएशन फिजिक्स/ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स))	प्रोफेसर - (1) 75% पदोन्नति के माध्यम से। तथा (2) 25% सीधी भर्ती के माध्यम से। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों/स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में नियुक्त ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली, द्वारा समय-समय पर प्रचलित मानकों के अनुसार शोध पत्र प्रकाशित किये हो। गैर चिकित्सकीय संकाय सदस्य सम्बन्धित विशेषज्ञता में पी0एच0डी0 करने के उपरान्त ही अर्ह होंगे।
3(i)	एसोसिएट प्रोफेसर (न्यूक्लियर मेडिसिन/रेडिएशन ऑनकोलॉजी/मेडिकल ऑनकोलॉजी/पैलियेटिव मेडिसिन (पेन क्लीनिक)/सर्जरीकल ऑनकोलॉजी/ पीडियाट्रिक्स ऑनकोलॉजी	एसोसिएट प्रोफेसर - (1) 75% पदोन्नति के माध्यम से। तथा (2) 25% सीधी भर्ती के माध्यम से। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	मान्यता-प्राप्त मेडिकल कॉलेजों/स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में नियुक्त ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कम से कम 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली, द्वारा समय-समय पर प्रचलित मानकों के अनुसार शोध पत्र प्रकाशित किये हो। गैर चिकित्सकीय संकाय सदस्य सम्बन्धित विशेषज्ञता में पी0एच0डी0 करने के उपरान्त ही अर्ह होंगे।
(ii)	एसोसिएट प्रोफेसर (कैंसर जेनेटिक)	एसोसिएट प्रोफेसर - (1) 75% पदोन्नति के माध्यम से। तथा (2) 25% सीधी भर्ती के माध्यम से।	मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों/स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में नियुक्त ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर (कैंसर जेनेटिक), जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर (कैंसर जेनेटिक) के रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई

1	2	3	4
		उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	दिल्ली, द्वारा समय-समय पर प्रचलित मानकों के अनुसार शोध पत्र प्रकाशित किये हो। गैर चिकित्सकीय संकाय सदस्य सम्बन्धित विशेषज्ञता में पी0एच0डी0 करने के उपरान्त ही अर्ह होंगे।
(iii)	एसोसिएट प्रोफेसर (मेडिकल फिजिसिस्ट / रेडिएशन फिजिक्स / रेडियोलॉजिकल फिजिक्स)	एसोसिएट प्रोफेसर – (1) 75% पदोन्नति के माध्यम से। तथा (2) 25% सीधी भर्ती के माध्यम से। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों/स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में नियुक्त ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर में से जिन्होंने पी0एच0डी0 के उपरान्त कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली, द्वारा समय-समय पर प्रचलित मानकों के अनुसार शोध पत्र प्रकाशित किये हो। गैर चिकित्सकीय संकाय सदस्य सम्बन्धित विशेषज्ञता में पी0एच0डी0 करने के उपरान्त ही अर्ह होंगे।
4 (i)	असिस्टेंट प्रोफेसर – कैंसर जेनेटिक	शत-प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मेडिकल या ह्यूमन जिनेटिक्स /मोलीकुलर बायोलॉजी/ बायो टैक्नोलॉजी, लाइफ साइंस (सायटो जिनेटिक्स) विषय से 50 % अंको के साथ उत्तीर्ण किया हो। • कैंसर बायोलॉजी/कैंसर रिसर्च विषय से PhD की उपाधि प्राप्त की हो। • सायटो जिनेटिक्स लैबोरेट्री में 02 वर्ष का कार्यानुभव, जिसमें 01 वर्ष कैंसर सायटो जेनेटिक्स में अनुभव प्राप्त हो।
(ii)	असिस्टेंट प्रोफेसर (न्यूक्लियर मेडिसिन/ रेडिएशन ऑनकोलॉजी/ मेडिकल ऑनकोलॉजी/ सर्जरीकल ऑनकोलॉजी / पीडियाट्रिक्स ऑनकोलॉजी/ रेडियोडायग्नोसिस/ एनेस्थेसियोलॉजी)	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के समय-समय पर प्रचलित मानकानुसार।
(iii)	असिस्टेंट प्रोफेसर-पैलियेटिव मेडिसिन (पेन क्लीनिक)	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पैलियेटिव मेडिसिन में एम0डी0 की डिग्री के साथ कैंसर संस्थान से पैलियेटिव केयर में 03 वर्ष का कार्यानुभव।

1	2	3	4
			अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त किसी भी क्लीनिकल ब्रॉच में एम0डी0/एम0एस0/ डी0एन0बी0 के पश्चात कैंसर संस्थान से पैलियेटिव केयर में 03 वर्ष का कार्यानुभव।
(iv)	असिस्टेंट प्रोफेसर- (प्रिवेन्टिव ऑनकोलॉजी)	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0डी0 (प्रिवेन्टिव एण्ड सोशल मेडिसिन)/डी0एन0बी0 के पश्चात प्रिवेन्टिव ऑनकोलॉजी में 03 वर्ष का कार्यानुभव।
(v)	असिस्टेंट प्रोफेसर- (मेडिकल फिजिसिस्ट/रेडिएशन फिजिक्स/रेडियोलॉजिकल फिजिक्स)	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। उपरोक्तानुसार नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बी.ए.आर.सी. से विकिरण भौतिक शास्त्र में 01 वर्षीय डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यता प्राप्त रेडियोथिरेपी विभाग में 12 माह का इन्टर्नशिप। या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर में भौतिक विज्ञान के साथ मेडिकल फिजिक्स/रेडियोलॉजिकल फिजिक्स/रेडिएशन फिजिक्स में बी.ए.आर.सी. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर (डिग्री/डिप्लोमा) उपाधि प्राप्त की हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त रेडिएशनथिरेपी विभाग में 12 माह का इन्टर्नशिप किया हो। टिप्पणी:- इन्टर्नशिप वर्ष 2013 के बाद उत्तीर्ण डिग्री धारकों के लिए आवश्यक होगा। वर्ष 2013 से पूर्व डिग्री धारकों के लिए मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फिजिसिस्ट के अनुभव को इन्टर्नशिप के समकक्ष माना जाएगा।

1	2	3	4
5 (i)	सीनियर रेजीडेंट (रेडिएशन ऑनकोलॉजी / मेडिकल ऑनकोलॉजी / सर्जरीकल ऑनकोलॉजी / पैलियेटिव मेडिसिन (पैन क्लीनिक) / रेडियोडायग्नोसिस / ऐनेस्थेसियोलॉजी)	शत-प्रतिशत भर्ती / संविदा के आधार पर।	सीधी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के समय-समय पर प्रचलित मानकानुसार।
(ii)	सीनियर रेजीडेंट - पीडियाट्रिक्स ऑनकोलॉजी	शत-प्रतिशत भर्ती / संविदा के आधार पर।	सीधी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में पीडियाट्रिक्स ऑनकोलॉजी में डी०एम० की उपाधि। या एम०डी० पीडियाट्रिक्स।

आज्ञा से,

डॉ० आर० राजेश कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 19/XXVIII(5)/2026-63/2010, Dehradun dated January 06, 2026 for general information:

No. 19/XXVIII(5)/2026-63/2010

Dated Dehradun, January 06, 2026

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor with a view to further amend the Uttarakhand Medical Education Service Rules, 2014, makes the following rules, namely :--

The Uttarakhand Medical Education Service (Amendment) Rules, 2025

Short title and Commencement	1.	(1) These rules may be called the Uttarakhand Medical Education Service (Amendment) Rules, 2025. (2) It shall come into force at once.	
Amendment of rule 2	2.	In the Uttarakhand Medical Education Service Rules, 2014, (hereinafter referred to as the principal rules) for the existing rule 2 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely-	
		Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted
		The Uttarakhand Medical Education Service is a State service comprising group "A" and "B" posts.	The Uttarakhand Medical Education Department (Medical Education Directorate/ Government Medical College/ Swami Ram Cancer Institution (State Cancer Institute) Service is a comprising group "A" and "B" posts.
Amendment of rule 3	3.	In the principal rules of 3- (i) for the existing clause (c) and (i) set out in Column-1 below, the clauses as set out in Column-2 shall be substituted, namely-	
		Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted

		(c) Commission' means the Uttarakhand Public Service Commission; (i) 'Service' means the Uttarakhand Medical Education Service and includes all Group 'A' and Group 'B' posts of Medical Education Directorate and Government Medical Colleges;	(c) Board' means the Uttarakhand Medical Service Selection Board; (i) 'Service' means the Uttarakhand Medical Education Service, and includes all Group 'A' and Group 'B' posts of Medical Education Directorate and Government Medical Colleges and Swami Ram Cancer Institution (State Cancer Institute);
		(ii) after clause (k), following clause (l) shall be inserted as follows, namely- "(l) "Superior Specialty Services" means Cardiology, Urology, Nephrology, Plastic Surgery, Neuro Surgery, Medical Oncology, Surgical Oncology, Medical Gastroenterology, Interventional Radiology and Critical Care etc."	
Amendment of rule 4	4.	In the principal rules, for the existing rule 4 as set out in column-1 below, the following rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-	

	Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted
	(2) The strength of the service and each category of post their in shall, until order varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Column 4 of the Appendix;	(2) The strength of the service and each category of post their in shall, until order varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix -A and A-1 of these rules.

Amendment of rule 5	5.	In the principal rules, for the existing rule 5 set out in column-1 below, the following rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-
	Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted
	Recruitment to the various posts in the Service shall be made through sources mentioned against each posts at Column 5 of the Appendix. In case of non-availability of the officers for the service, the State Government may fill up the vacancy as per rules in these posts by the competent officers of the Uttarakhand Medical and Health Services, who is serving on the posts of member faculty in the Government Medical Colleges, if they are fulfill the prescribed qualification, be satisfactory service, be obtaining no objection certificate from their original department and on the concurrence of the concerning member faculty be adjusted by the State Government in this service on the holding posts in the Government Medical Colleges.	(1) Recruitment to various categories of posts in the service shall be made from the sources mentioned against the each post in Appendix-'B' and 'B-1' of these Rules. (2) If candidates are not available for promotion on the basis of educational qualification and experience given in the Appendix to these rules, appointment may be made on contract (sanvida) till promotion takes place. (3) Casualty Medical Officer, Lady Medical Officer, Senior Resident regularly working in Government Medical Colleges, who fulfil the qualification for the post of Assistant Professor as per National Medical Commission, New Delhi and Uttarakhand Medical Education Service Rules, after completing five years of regular service on the concerned post, can be posted on the vacant post of Assistant Professor against direct recruitment posts on the basis of seniority, but the number of posts shall not exceed 5% of the total sanctioned posts of Assistant Professor. For direct recruitment, the reservation system prevalent from time to time shall be ensured to be followed.

Amendment of rule 8	6.	In the principal rules, for the existing rule 8 set out in column-1 below, the following rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-																																																
	Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted																																																
	A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must have qualifications given in column 6 of the Appendix.	A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must have qualifications given in Appendix-‘B’, ‘B-1’ and ‘B-2’ of these rules.																																																
Amendment of rule 10	7.	In the principal rules, for the existing rule 10 set out in column-1 below, the following rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-																																																
	Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted																																																
	A candidate, for direct recruitment to any post in the service must have attained the minimum age and must have not attained maximum age mentioned against the post given in table below on the first day of July of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised: <table><tr><th>S.N.</th><th>Name of Post</th><th>Minimum Age</th><th>Maximum age</th></tr><tr><td>1</td><td>Professor</td><td>30 years</td><td>50 years</td></tr><tr><td>2</td><td>Associate Professor</td><td>30 years</td><td>50 years</td></tr><tr><td>3</td><td>Assistant Professor</td><td>30 years</td><td>45 years</td></tr></table> Provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	S.N.	Name of Post	Minimum Age	Maximum age	1	Professor	30 years	50 years	2	Associate Professor	30 years	50 years	3	Assistant Professor	30 years	45 years	(1) A candidate, for direct recruitment to any post in the service must have attained the minimum age mentioned against the post given in table below on the first day of July of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised: <table><tr><th>S.N.</th><th>Name of Post</th><th>Minimum Age</th><th>Maximum age</th></tr><tr><td>1</td><td>Professor</td><td>35</td><td>62 years</td></tr><tr><td>2</td><td>Associate Professor</td><td>30</td><td>62 years</td></tr><tr><td>3</td><td>Assistant Professor</td><td>27</td><td>45 years</td></tr><tr><td>4</td><td>Casualty Medical Officer</td><td>23</td><td>42 years</td></tr><tr><td>5</td><td>Lady Medical Officer</td><td>23</td><td>42 years</td></tr><tr><td>6</td><td>Medical Physicist</td><td>23</td><td>42 years</td></tr><tr><td>7</td><td>Veterinary Officer</td><td>23</td><td>42 years</td></tr></table> Provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	S.N.	Name of Post	Minimum Age	Maximum age	1	Professor	35	62 years	2	Associate Professor	30	62 years	3	Assistant Professor	27	45 years	4	Casualty Medical Officer	23	42 years	5	Lady Medical Officer	23	42 years	6	Medical Physicist	23	42 years	7	Veterinary Officer	23	42 years
S.N.	Name of Post	Minimum Age	Maximum age																																															
1	Professor	30 years	50 years																																															
2	Associate Professor	30 years	50 years																																															
3	Assistant Professor	30 years	45 years																																															
S.N.	Name of Post	Minimum Age	Maximum age																																															
1	Professor	35	62 years																																															
2	Associate Professor	30	62 years																																															
3	Assistant Professor	27	45 years																																															
4	Casualty Medical Officer	23	42 years																																															
5	Lady Medical Officer	23	42 years																																															
6	Medical Physicist	23	42 years																																															
7	Veterinary Officer	23	42 years																																															

		(2) The superannuation age of faculty members regularly employed in special services will be 65 years. After attaining the superannuation age, these faculty members can be appointed through contract for a maximum period of 05 years.
Amendment of rule 16	8.	In the principal rules, for the existing rule 16 along with marginal heading set out in column-1 below, the following rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

	Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted
	Procedure of recruitment by promotion through the Commission:- Recruitment by promotion shall be made according the Uttarakhand promotion with consultation by Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time.	Procedure of Recruitment by promotion through the Board: Recruitment to the posts of Professor and Associate Professor through the Board shall be done in accordance with the qualifications given in Appendix-'B', 'B-1' and 'B-2' of these rules. The basis of merit for the posts of Principal / Medical Superintendent, Government Medical Colleges and Director, Swami Ram Cancer Institute, Haldwani shall be 50% through annual confidential entries and 50% through interview by the Selection Committee.
Amendment of rule 21	9.	In the principal rules, for the existing rule 21 set out in column-1 below, the following rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-
	Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted
	The Service of employed faculty Members in the Government Medical Colleges situated in the State shall be transferable in the established Government Medical Colleges under the Uttarakhand State.	The Service of employed faculty Members in the Government Medical Colleges situated in the State shall be transferable in the established Government Medical Colleges and Medical Education Directorate under the Uttarakhand State.

Amendment of rule 25	10.	In the principal rules, for the existing sub-rule (2) of rule 25 set out in column-1 below, the following rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-
----------------------	-----	--

	Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules hereby substituted
	The scale of pay at the time of the commencement of these rules shall be as per Appendix.	The scale of pay at the time of the commencement of these rules shall be as per Appendix-'A' and 'A-1'.
Substitution of Appendix	11.	In the principal rules, Appendix shall be substituted, by Appendix A Appendix A-1, Appendix B, Appendix B-1 and Appendix B-2 annexed with these rules.

By Order,

DR. R. RAJESH KUMAR

Secretary.

Appendix-A

Sr.No.	Name of Post	Pay Scales	No. of Posts
1	2	3	4
1	Director	144200-218200 (level-14)	01
2	Additional Director	144200-218200 (level-14)	02
3	Joint Director	131100-216600(level -13A)	02
4	Deputy Director	67700-208700 (level- 11)	02
5	Principal	144200-218200 (level-14)	07
6	Superintendent of Medical	144200-218200 (level-14)	07
7	Professor (Broad specialty department)	144200-218200 (level-14)	169
8	Professor (super specialty department)	144200-218200 (level-14)	15
9	Associate Professor(Broad specialty department)	131100-216600(level -13A)	284
10	Associate Professor(Super specialty department)	131100-216600(level -13A)	15
11	Assistant Professor (Broad specialty department)	67700-208700 (level- 11)	486
12	Assistant Professor (Super specialty department)	67700-208700 (level- 11)	15
13	Assistant Professor (Burn Unit department)	67700-208700 (level- 11)	06
14	Microbiologist / Assistant professor (Virology Lab)	67700-208700 (level- 11)	04
15	Physicist (Medical Physicist)	56100-177500 (level-10)	05
16	Casualty Medical Officer	56100-177500 (level-10)	10
17	Casualty Medical Officer (Burn Unit department)	56100-177500 (level-10)	04
18	Lady Medical Officer	56100-177500 (level-10)	06
19	Veterinary Officer	56100-177500 (level-10)	03
20	Statistician (Assistant Professor)	67700-208700 (level- 11)	05
21	Research Scientist (Virology Lab)	56100-177500 (level-10)	08
22	Senior Resident	Fixed pay according to 67700- 208700 (level- 11)	329
23	Senior Resident (super specialty department)	Fixed pay according to 67700- 208700 (level- 11)	25
24	Junior Resident /Tutor/Demonstrator	Fixed pay according to 56100- 177500 (level-10)	534

Appendix-A-1

Sr.No.	Name of post	Pay scale	No. of posts
1	2	3	4
1	Director (Swami Ram Cancer Institute, Haldwani)	144200-218200 (level-14)	01
2	Professor	144200-218200 (level-14)	08
3	Associate Professor	131100-216600(level -13A)	09
4	Assistant professor	67700-208700 (level- 11)	18
5	Senior Resident	Fixed pay according to 67700-208700 (level- 11)	17

Appendix-B

Sr.No.	Name of Post	Source of recruitment	Qualification for post
1	2	3	4
1	Director	By promotion, basis of merit cum seniority amongst the substantively appointed Principal of Government Medical Colleges of the State of Uttarakhand.	Should have completed 5 years of continuous service as Principal in Government Medical Colleges.
2	Additional Director	Through service transfer, amongst the substantively appointed Professors of Government Medical Colleges of the State of Uttarakhand.	Minimum 04 years continuous work experience as Professor in Government Medical Colleges.
3	Joint Director	Through service transfer, amongst the substantively appointed Associate Professors of Government Medical Colleges of the State of Uttarakhand.	Minimum 03 years continuous work experience in the post of Associate Professor in Government Medical Colleges.
4	Deputy Director	(i) Through service transfer, amongst the substantively appointed Assistant Professors of Government Medical Colleges of the State of Uttarakhand. (ii) Through service transfer/promotion on seniority basis from amongst the EMO/CMO/LMO substantively appointed in the Medical College. (iii) One post for Principal originally appointed in Government Nursing Colleges of the State of Uttarakhand, on the basis of seniority. (iv) In case of non-availability of regular officers the vacancy may be filled through service transfer	(i) Minimum 03 years continuous work experience as Assistant Professor in Government Medical Colleges. (ii) Minimum 10 years of continuous service in the post of EMO/ CMO/ LMO originally appointed in the Medical College. (iii) On the basis of seniority from among the Principals regularly working in the Government Nursing Colleges of the State of Uttarakhand, who have the educational qualification and experience of Principal as prescribed by the Indian Nursing Council.
5	Principal	By promotion on the basis of seniority and merit from among such Professors regularly appointed in Government Medical Colleges of the State of Uttarakhand who are qualified as per the standards of NMC.	As per the standards in vogue from time to time as prescribed by the National Medical Commission, New Delhi.
6	Superintendent of Medical	From among the Professors of Government Medical Colleges of Uttarakhand State who fulfil the eligibility criteria as per NMC norms, through service transfer.	As per the standards prescribed by the National Medical Commission, New Delhi, as amended from time to time.

1	2	3	4
7	Professor (Broad specialty)	Professor (Broad-Specialty)- (1) 75% through promotion. And (2) 25% through direct recruitment. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.	Eligibility for Promotion:- By promotion from amongst substantively appointed Associate Professors (Broad Specialty) who have completed satisfactory service as Associate Professor as per the standards promulgated/prevalent by the National Medical Commission, New Delhi from time to time. Qualification for direct recruitment:- As per the standards of National Medical Commission, New Delhi prevalent from time to time.
8	Associate Professor (Broad specialty)	Associate Professor (Broad-Specialty) (1) 75% through promotions. And (2) 25% through direct recruitment. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.	Eligibility for Promotion:- By promotion from amongst substantively appointed Assistant Professors (Broad Specialty) who have completed satisfactory service as Assistant Professor as per the standards promulgated/prevalent by National Medical Commission, New Delhi from time to time. Qualification for direct recruitment:- As per the standards prescribed by National Medical Commission, New Delhi as amended from time to time.
9	Assistant Professor (Broad specialty)	Assistant Professor Broad-Specialty- (1) 95% through direct recruitment. And (2) Maximum 5% of such Casualty Medical Officers/Lady Medical Officers from amongst the Senior Residents who have completed 05 years service in Government Medical Colleges and possess the prescribed qualification, on the basis of promotion against the posts of direct recruitment. Till regular appointment is made as above, appointment can be made on contract basis.	Qualification for direct recruitment:- As per the standards prescribed by National Medical Commission, New Delhi as amended from time to time.
10	Microbiologist/ Assistant professor (Virology Lab)	100% through direct recruitment.	MD degree in the relevant subject from a medical college recognized by the National Medical Commission, New Delhi.

1	2	3	4
11	Physicist (Medical Physicist)	100% through direct recruitment.	(i) Master's degree in Physics from a recognized University /Institute with 01 year Diploma in Radiation Physics from AERB/BARC. (ii) 12 months internship in a recognized Radiotherapy department. Or (i) Possess a postgraduate degree (Degree/Diploma) in Medical Physics/Radiological Physics /Radiation Physics from a recognized University/Institute recognized by AERB. Or (ii) Have done internship of 12 months in a recognized Radiation Therapy department. Note:- Internship shall be mandatory for degree holders after 2013. For degree holders before 2013, experience of Medical Physicist shall be considered equivalent to internship. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.
12	Casualty Medical Officer	Through Direct Recruitment/ Medical Health and Family Welfare Department, Uttarakhand through service transfer of eligible doctors. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.	Degree (MBBS) from a medical college recognized by National Medical Commission, New Delhi. Preference shall be given to those holding post graduate degree in medicine (MD/MS/ Diploma/DNB).
13	Lady Medical Officer	Through direct recruitment. Appointment shall be made on contract basis till regular appointment is made as per above.	Graduate (MBBS) degree from a medical college recognized by the National Medical Commission, New Delhi. Preference shall be given to those holding postgraduate medical (MD/MS) degrees.
14	Veterinary Officer	Through direct recruitment. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.	Bachelor's degree (B.V.Sc.) from a recognized veterinary college.

1	2	3	4
15	Statistician (Assistant Professor)	Through direct recruitment. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.	(i) Master of Science degree in Health Statistics or Medical Statistics or Biostatistics or Statistics from a recognized University/Institute; and (ii) Doctor of Philosophy degree from a recognized University/Institute
16	Research Scientist	On Direct Recruitment/ Contract Basis.	As per the standards of Indian Council of Medical Research, New Delhi (ICMR). or Graduate degree (MBBS) from a medical college recognized by the National Medical Commission, New Delhi.
17	Senior Resident /Tutor/Demonstrator	On Direct Recruitment/ Contract Basis.	As per the standards of National Medical Commission, New Delhi.
18	Junior Resident /Tutor/Demonstrator	On Direct Recruitment/ Contract Basis.	As per the standards of National Medical Commission, New Delhi.

Appendix-B-1

Sr.No.	Name of Post	Source of recruitment	Qualification for post
1	2	3	4
1	Professor (super specialty)	Professor (super specialty)- (1) 75% through promotions. And (2) 25% through direct recruitment. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.	From amongst substantively appointed Associate Professors (Super Specialty) who have completed satisfactory service as Associate Professor as per the prevailing standards of National Medical Commission, New Delhi from time to time.
2	Associate Professor (super specialty)	Associate Professor (super specialty)- (1) 75% through promotions. And (2) 25% through direct recruitment. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.	From amongst substantively appointed Assistant Professors (Braud specialty/ Super Specialty) who have completed satisfactory service as Assistant Professor as per the prevailing standards of National Medical Commission, New Delhi from time to time.
3	Assistant Professor (super specialty)	100% through direct recruitment. Till regular appointment is made as per above, the appointment shall be made on contract basis.	As per the standards determined by the National Medical Commission, New Delhi as amended from time to time.
4	Senior Resident /Tutor/Demonstrator	On Direct Recruitment/Contract Basis.	As per the standards of National Medical Commission, New Delhi.
5	Junior Resident /Tutor/Demonstrator	On Direct Recruitment/Contract Basis.	As per the standards of National Medical Commission, New Delhi.

Appendix-B-2

Sr.No.	Name of Post	Source of recruitment	qualification for post
1	2	3	4
1	Director (State Cancer Institute, Haldwani)	Through promotion on the basis of merit cum seniority from among the substantively appointed Professors (Clinical Specialist) in State Cancer Institute, Haldwani.	(i) Degree of MD/ MCh/ DM in Oncology from a Medical Teaching Institution recognized by the National Medical Commission, New Delhi. (ii) Experience in construction and operation of a cancer institute. (iii) 20 years of service in cancer related field in Government Institute/Hospital, out of which 05 years experience as Professor and Head of Department.
2	Professor (Cancer Genetics / Nuclear Medicine / Radiation Oncology / Medical Oncology / Palliative Medicine (Pain Clinic) / Surgical Oncology / Pediatric Oncology / (Medical Physicist / Radiation Physics / Radiological Physics)	Professor:- (1) 75% through promotions. And (2) 25% through direct recruitment. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	Associate Professors appointed in recognized Medical Colleges / State Cancer Institute, Haldwani, who have completed at least 03 years of service as Associate Professor and have published research papers as per the prevailing standards by the National Medical Commission, New Delhi from time to time. Non-medical faculty members shall be eligible only after completing PhD in the relevant speciality.
3(i)	Associate Professor (Nuclear Medicine / Radiation Oncology / Oncology / Palliative Medicine / (Pain Clinick) Surgical Oncology / Pediatrics Oncology	Associate Professor:- (1) 75% through promotions. And (2) 25% through direct recruitment. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	Assistant Professors appointed in recognized Medical Colleges / State Cancer Institute, Haldwani, who have completed at least 04 years of service as Assistant Professor and have published research papers as per the prevailing standards by the National Medical Commission, New Delhi from time to time. Non-medical faculty members will be eligible only after completing PhD in the relevant speciality.

1	2	3	4
(ii)	Associate Professor – (Cancer Genetics)	Associate Professor:- (1) 75% through promotions. And (2) 25% through direct recruitment. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	Assistant Professors (Cancer Genetics) appointed in recognized Medical Colleges / State Cancer Institute, Haldwani, who have completed at least 05 years of service as Assistant Professor (Cancer Genetics) and have published research papers as per the standards prescribed by the National Medical Commission, New Delhi from time to time. Non-medical faculty members shall be eligible only after completing PhD in the relevant speciality.
(iii)	Associate Professor (Medical Physicist / Radiation Physics / Radiological Physics)	Associate Professor:- (1) 75% through promotions. And (2) 25% through direct recruitment. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	Assistant Professor appointed in recognized Medical Colleges / State Cancer Institute, Haldwani who have completed at least 05 years of service after Ph.D. and have published research papers as per the standards prescribed by National Medical Commission, New Delhi from time to time. Non-medical faculty members shall be eligible only after completing PhD in the relevant speciality.
4(i)	Assistant Professor - Cancer Genetics	100% direct recruitment through the Board. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	Must have passed Graduation from a recognized University in Medical or Human Genetics / Molecular Biology / Biotechnology, Life Science (Cyto Genetics) subject with 50% marks. Have a PhD degree in Cancer Biology / Cancer Research. 02 years work experience in Cyto Genetics Laboratory, out of which 01 year experience in Kaiser Cyto Genetics.

1	2	3	4
(ii)	Assistant Professor (Nuclear Medicine / Radiation Oncology / Medical Oncology / Surgical Oncology / Pediatric Oncology / Radiodiagnosis / Anesthesiology)	100% by direct recruitment. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	As per the standards prevalent from time to time of National Medical Commission, New Delhi.es
(iii)	Assistant Professor- Palliative Medicine (Pain Clinic)	100% through direct recruitment. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	MD degree in Palliative Medicine from an Institute recognized by National Medical Commission, New Delhi with 03 years work experience in Palliative Care from a Cancer Institute. Or 03 years work experience in Palliative Care from a Cancer Institute after MD/MS/DNB in any clinical branch recognized by National Medical Commission, New Delhi.
(iv)	Assistant Professor (Preventive Oncology)	100% through direct recruitment. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	03 years work experience in Preventive Oncology after MD (Preventive & Social Medicine) / DNB from an Institute recognized by National Medical Commission, New Delhi.
(v)	Assistant Professor (Medical Physicist/ Radiation Physics/ Radiological Physics)	100 % by direct Recruitment. Appointment shall be on contract basis till regular appointment is made as above.	(i) Master's degree in Physics from a recognized University/Institute with 01 year Diploma in Radiation Physics from BARC. (ii) 12 months internship in a recognized Radiotherapy department. Or (i) Postgraduate degree (Degree/Diploma) in Medical Physics/Radiological Physics/ Radiation Physics with Physics as one of the subjects from a recognized University/Institute recognized by BARC.

1	2	3	4
			(ii) Have done 12 months internship in a recognized Radiation Therapy department. Note:- Internship shall be compulsory for degree holders passed after the year 2013. For degree holders before the year 2013, experience as a medical physicist in a medical college shall be considered equivalent to internship.
5(i)	Senior Resident (Radiation Oncology / Medical Oncology / Surgical Oncology / Palliative Medicine (Pain Clinic) / Radiodiagnosis / Anaesthesiology)	100 % by Direct Recruitment /Contract Basis.	As per the prevailing standards time to time of National Medical Commission, New Delhi.
(ii)	Senior Resident - Pediatric Oncology	100 % by Direct Recruitment /Contract Basis.	DM Degree in Pediatrics Oncology from an Institute recognized by National Medical Commission, New Delhi. Or MD Pediatrics.

By Order,

DR. R. RAJESH KUMAR

Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जनवरी, 2026 ई0 (माघ 04, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

Corrigendum

NOTIFICATION

December 15, 2025

No. 05/XIV/a-30/Admin.A/2021--This is with reference to the earlier issued notification No. 364/XIV/a-30/Admin.A/2021 dated 12.12.2025 of the Court regarding earned leave of Ms. Anju, Judicial Magistrate, Ramnagar District Nainital.

In the said notification, “child care leave for 40 days w.e.f. 24.10.2025 to 02.12.2025” be read as “earned leave for 40 days w.e.f. 24.10.2025 to 02.12.2025 with permission to prefix 18.10.2025 to 23.10.2025 as local holiday & Deepawali holidays.”

Sd/-

Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITYHIGH COURT CAMPUS, NAINITALNOTIFICATION*December 12, 2025*

No. 2738/III-A-04/2025/SLSA--Shri Bhavdeep Ravtey, Secretary, District Legal Services Authority, Champawat is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 10 days w.e.f. 24.11.2025 to 03.12.2025.

NOTIFICATION*December 17, 2025*

No. 2772/III(4)-B-2009-10/SLSA/2025--Shri Brijendra Singh, Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 121 days w.e.f. 08.08.2025 to 06.12.2025 with permission to suffix 07.12.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION*December 23, 2025*

No. 2840/III(2)-B-2009-10/2025/SLSA--Ms. Neetu Joshi, Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 11 days w.e.f. 26.11.2025 to 06.12.2025 with permission to suffix 07.12.2025 as Sunday holiday.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION*January 05, 2026*

No.01/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Rahul Kumar Srivastava, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun, presently attached to the High Court of Uttarakhand at Nainital as Officer on Special Duty (OSD), is hereby posted as Registrar (Protocol), High Court of Uttarakhand, Nainital, vice Shri Vivek Srivastava, with immediate effect.

Note:

- (A) The name of Shri Vivek Srivastava, 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is being recommended to the State Government for assigning him the additional charge of the office of the Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Dehradun, vice Shri Rahul Kumar Srivastava.

NOTIFICATION

January 05, 2026

No.02/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Prashant Joshi, Principal Secretary (Law)-cum-L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun is repatriated, transferred and posted as District & Sessions Judge, Nainital, vice Shri Harish Kumar Goel.

No.03/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Nitin Sharma, Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Dehradun is repatriated, transferred and posted as District & Sessions Judge, Tehri Garhwal, vice Shri Amit Kumar Sirohi.

Note:

- (A) The name of Shri Harish Kumar Goel, District & Sessions Judge, Nainital is being recommended to the State Government for his posting as Principal Judge, Family Court, Pauri Garhwal, vice Shri Rahul Garg.
- (B) The name of Shri Malik Mazhar Sultan, Chairman, Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand, Dehradun is being recommended to the State Government for assigning him the additional charge of office of the Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Dehradun, vice Shri Nitin Sharma.
- (C) The name of Shri Amit Kumar Sirohi, District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is being recommended to the State Government for his posting as Principal Secretary (Law)-cum-L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun, vice Shri Prashant Joshi.
- (D) The name of Shri Rahul Garg, Principal Judge, Family Court, Pauri Garhwal is being recommended to the State Government for his posting as Presiding Officer, Labour Court, Haridwar, in the vacant Court.

Effective Date of Transfer Orders: The above orders shall come into force with immediate effect, upon issuance of the relevant deputation posting notifications by the State Government and consequent vacation of the existing posts.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION10th January, 2026

No. 05/UHC/Admin.A/2026--Hon'ble Shri Justice Manoj Kumar Gupta has assumed charge of the Office of Chief Justice of High Court of Uttarakhand, Nainital on **January 10th, 2026 at 02:00 P.M.** pursuant to the **Notification F.No. K. 13032/01/2025-US.I/II Dated: 08th January, 2026** issued by Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointments Division), Jaisalmer House, 26, Man Singh Road, New Delhi.

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

January 13, 2026

No. 09/UHC/Admin.A-2/2026

Vide Notification No: ई पत्रावली संख्या: 21957 dated 12.01.2026 of Home Section-1, Government of Uttarakhand, Dehradun; Shri Sayan Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Khatima, District Udham Singh Nagar has been transferred and posted as Secretary-cum-Registrar, State Level Police Complaint Authority, Dehradun. The above stated Notification reads as under:

“उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 यथा संशोधित, 2018 की धारा 69 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र दिनांक 08.01.2026 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में श्री सयन सिंह, अपर प्रमुख न्यायाधीश, फ़ैमली कोर्ट, खटीमा, जिला-उधम सिंह नगर को सचिव-सह-निबंधक, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून के पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(शैलेश बगौली)
सचिव।”

Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA,
Registrar General.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जनवरी, 2026 ई0 (माघ 04, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरे पुत्र KETAN THAPA के हाईस्कूल अनुक्रमांक 5309298 में त्रुटिवश माता का नाम LAXMI THAPA गलत दर्ज हो गया है जबकि माता का वास्तविक नाम LAXMI DEVI है। जो कि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 65 एवं माता के आधार कार्ड नं0 8999 6306 3141 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को केतन थापा KETAN THAPA पुत्र लक्ष्मी देवी LAXMI DEVI के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए। लक्ष्मी देवी LAXMI DEVI पत्नी मोती लाल थापा (MOTI LAL THAPA) निवासी— 304, नौका, मोथरोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।

लक्ष्मी देवी
पत्नी मोती लाल थापा
निवासी— 304, नौका,
मोथरोवाला, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र MANAN DHIMAN के हाईस्कूल अनुक्रमांक-25111163 में त्रुटिवश पिता का नाम-MUNESH DHIMAN गलत दर्ज हो गया है। जबकि पिता का सही नाम-MUNESH KUMAR DHIMAN है। जो पुत्र के जन्म-प्रमाण-पत्र पंजी सं० 68 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK10DOM0300/200093678 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को MANAN DHIMAN S/O MUNESH KUMAR DHIMAN के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

MUNESH KUMAR DHIMAN
निवासी- हाउस नं० 16 चमनपुरी,
निरंजनपुर माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25111208 व इण्टरमीडियेट अनुक्रमांक-25612440 में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम DINESH RAWAT दर्ज है, जबकि मेरे पिता का सही नाम DINESH SINGH RAWAT हैं। जो मेरे जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण संख्या-13 व पिता के आधार कार्ड नं०-476778651678 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे AKSHANSH RAWAT S/O DINESH SINGH RAWAT निवासी- कारबारी ग्रान्ट जिला-देहरादून उत्तराखण्ड-248007 के नाम से जाना-पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

AKSHANSH RAWAT
S/O DINESH SINGH RAWAT
निवासी- कारबारी ग्रान्ट जिला-देहरादून
उत्तराखण्ड-248007

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 300787177288 में त्रुटिवश मेरा नाम महपरीन (Mahprain) दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरी 10वी की मार्कशीट जिसका अनुक्रमांक नंबर 25005734 में मेरा नाम फरहीन (Farheen) दर्ज है जो कि सही एवं वास्तविक है। भविष्य में मुझे फरहीन पुत्री मौ० कामिल के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

फरहीन पुत्री मौ० कामिल
निवासी ग्राम किशनपुर जमालपुर
ब्लॉक रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या, 288609218185 में उसका नाम आशिया (AHSIYA) दर्ज है। लेकिन निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम आशिया से बदलकर आईशा (AAISHA) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202505027030000089, में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को आईशा (AAISHA) पुत्री गय्यूर हसन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गय्यूर हसन

निवासी वार्ड नं. 10, ग्राम व पोस्ट ढकरानी,
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 763816421131 में त्रुटिवश मेरा नाम विमला गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम बिमला देवी है। जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं. UK25ES0100228424 व मेरे स्व. पति के पी.पी.ओ. नं. C/MISC/13127/2016 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे बिमला देवी पत्नी स्व. रतन लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बिमला देवी पत्नी स्व. रतन लाल
निवासी-मोहनपुरा मौहम्मदपुर हरिद्वार
मिलाप नगर उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री का आधार कार्ड सं0-2833-3658-1611 में त्रुटिवश उसका नाम जैमीन गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम जैसमीन है। जो उसके जन्म प्रमाण पंजीकरण सं0-बी-202505077170000005 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को जैसमीन पुत्री श्री धीरज कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

दिनांक:-15/12/2025

धीरज कुमार पुत्र श्री वेद सिंह

निवासी ग्राम नारसन कलां,
तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 920657914335 में त्रुटिवश उसका नाम कृत (Krat) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम कृत कोरी (Krit Kori) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं.B-2019:5-90411-004736 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को कृत कोरी (Krit Kori) पुत्र राजकुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजकुमार

निवासी 424, मंशा देवी रोड़, बहापुरी,
समीप कोतवाली, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 343370485348 में त्रुटिवश मेरा नाम राज चौहान (RAJ CHAUHAN) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम राज कुमारी चौहान (RAJ KUMARI CHAUHAN) है। जो मेरे रेलवे मेडिकल पहचान-पत्र CR007842 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे राज कुमारी चौहान (RAJ KUMARI CHAUHAN) पत्नी कुवर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राज कुमारी चौहान (RAJ KUMARI CHAUHAN)

पत्नी कुवर सिंह

निवासी-101 टाइप-4, सेक्टर 5बी, बी0एच0ई0एल0

हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 411700449703 में उसका नाम आरव वर्मा (AARAV VERMA) दर्ज है। और मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम आरव वर्मा (AARAV VERMA) से बदल कर प्रणय सोनी (PRANAY SONI) रख लिया है जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 20120606739 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को प्रणय सोनी (PRANAY SONI) पुत्र विनय वर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विनय वर्मा

नि0 H.N-11/1 विशाल लोक कालोनी,

टी-स्टेट बंजारावाला, कारगी ग्रांट,

नागेन्द्र सकलानी मार्ग, बंजरेवाला माफी

देहरादून, बंजारावाला, उत्तराखण्ड 245001

सूचना

मेरे पुत्र SAHIL RANA के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25112443 में त्रुटिवश मेरा नाम KIRPAL SINGH RANA व मेरी पत्नी का नाम SAJANI DEVI गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम KIRAPAL SINGH व पत्नी का सही नाम SAJANI RANA है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 187/2007 दिनांक 08.10.2007 में भी दर्ज है। भविष्य में हमें सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

KIRAPAL SINGH S/o ABAL SINGH RANA
ADDRESS- VILLAGE & POST, Nathuwala,
THE-Dehradun, UTTARAKHAND

सूचना

मेरी पुत्री PRIYANSHI RANA के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25113105 में त्रुटिवश मेरा नाम KIRPAL SINGH RANA व मेरी पत्नी का नाम SAJANI DEVI गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम KIRAPAL SINGH व पत्नी का सही नाम SAJANI RANA है। जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 242/2008 दिनांक 05.11.2008 में भी दर्ज है। भविष्य में हमें सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

KIRAPAL SINGH S/o ABAL SINGH RANA
ADDRESS- VILLAGE & POST, Nathuwala,
THE-Dehradun, UTTARAKHAND

सूचना

मेरी एल0आई0सी0 पॉलिसी सं. 273963828 में त्रुटिवश मेरा नाम KAMAL KUMAR SRIVASTAV गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम KAMAL KISHORE हैं। जो मेरे आधार कार्ड नं. 783093196308 व पैन कार्ड नं. AZCPS4401L में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे KAMAL KISHORE S/o GIRAJA SHANKAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

KAMAL KISHORE
S/o GIRAJA SHANKAR
निवासी-रामपुर जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 6247-6801-5629 में त्रुटिवश मेरा नाम Hritik Kumar गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम रितिक कुमार (Ritik Kumar) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 22012585 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं. UK25ES0100551740 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे रितिक कुमार (Ritik Kumar) पुत्र श्री धर्मेन्द्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रितिक कुमार (Ritik Kumar) पुत्र श्री धर्मेन्द्र
निवासी-निजामपुर हरचन्दपुर हरिद्वार
उत्तराखण्ड

सूचना

In my share certificate of M/s. Chambal Fertilisers and chemicals limited folio no. E0145721, my name is wrongly registered as Shalabh Agarwal S/o. Charan Dass Agarwal. althouh my actual and legal name is Shalabh Kumar, that is also mentioned in my high school Marksheet-2000 serial no. 11404891, AADHAR no. 570971576739 and PAN ASAPK5358B. in future I should be known and addressed by the name Shalabh Kumar S/o Charan Dass Agarwal resident of n-50, Shivalik Nagar Ranipur BHEL Haridwar 249403 Uttarakhand.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shalabh Kumar S/o Charan Dass Agarwal
resident of n-50, Shivalik Nagar Ranipur
BHEL Haridwar 249403 Uttarakhand

सूचना

मेरे आधार कार्ड सं0 862381994180 में त्रुटिवश मेरा नाम शरद बैरागी दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम पिकू बैरागी (Pinku Baragi) है। मेरी पुत्री परी बैरागी के कक्षा 8 के अनुक्रमांक सं0 24 में भी मेरा नाम पिकू बैरागी (Pinku Baragi) दर्ज है। भविष्य में मुझे पिकू बैरागी (Pinku Baragi) पुत्र भीम बैरागी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पिकू बैरागी (Pinku Baragi) पुत्र भीम बैरागी
निवासी 52, सर्वहारा नगर, काले की ढाल, ऋषिकेश,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे RELIANCE LIFE INSURANCE POLICY NO. 14287217 में त्रुटिवश मेरा नाम ABHA CHAUHAN गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम AABHA है। जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं० 5315771 व आधार कार्ड नं० 485456589931 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे AABHA D/O JITENDRA KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

AABHA D/O JITENDRA KUMAR
निवासी— औरंगाबाद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं, श्री सूरजमणी नौटियाल पुत्र स्व० श्री ब्रह्मी दत्त नौटियाल, निवासी—ग्राम—नन्दगांव, पो०ओ०—बडकोट तह०—जाखणीधार, जिला—टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। मैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, SHQ देहरादून। में हवलदार के०एस०के० पद पर सेवारत हूँ। मेरे सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम—SURAJMANI दर्ज है। जबकि मेरे पासपोर्ट, पेनकार्ड, आधारकार्ड, में मेरा सही एवं वास्तविक नाम—SURAJMANI NAUTIYAL है। भविष्य में मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा सही नाम दर्ज किया जाना—न्यायोचित है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सूरजमणी नौटियाल पुत्र स्व० श्री ब्रह्मी दत्त नौटियाल,
निवासी—ग्राम—नन्दगांव, पो०ओ०—बडकोट
तह०—जाखणीधार, जिला—टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगर पंचायत बनबसा (चम्पावत)

28 अप्रैल, 2025 ई०

पत्रांक-1983/न०पं०ब०/2025-26-नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बनबसा जिला चम्पावत के मासिक अधिवेशन 22 मार्च 2025 के प्रस्ताव सं०-17 के तहत इस कार्यालय द्वारा टुक-टुक/ई-रिक्शा का वार्षिक लाईसेन्स शुल्क 500 से बढ़ाकर 700 तथा सवारी ढोने वाली बाईको का वार्षिक लाईसेन्स शुल्क 500 रू० निर्धारित किया गया है।

दीपक चन्द्र बुढलाकोटी
अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत बनबसा
चम्पावत

रेखा देवी
अध्यक्ष
नगर पंचायत बनबसा
चम्पावत